कार्यालय : 0135-2678078
0135-2672404

फैक्स : 0135-2672337
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून-248001

पत्रांक 1319 / / 11 दिनांक 24/5/13

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कार्यरत समस्त कार्मिकों के पहचान-पत्र बनवाने हेतु इच्छुक फर्मो से दिनांक 04.06.2013 तक कोटेशन अपराहन 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन प्रधान कार्यालय उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11-मोहिनी रोड, देहरादून में अधिशासी अभियन्ता (मु0) अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा अपराहन 3:30 बजे खोली जायेंगी। कोटेशन सम्बन्धी पूर्ण जानकारी उत्तराखण्ड पेयजल निगम की वैबसाइट www.peyjal.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	02	03	04	05	06
1.	उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कार्यरत समस्त कार्मिकों के संलग्न प्रारूप के अनुसार एक ओर हिन्दी एवं दूसरी ओर अँग्रजी में प्लास्टिक/पॉलीकार्बोनेट मैटरियल पर कम्प्यूटरराईज छपाई कर पहचान पत्र बनाने का कार्य, कार्ड होल्डर एवं डोरी सहित (साईज-85.60 मिमी0 X 53.98 मिमी0 X 0.76 मिमी0 विद् राउण्ड कॉर्नर्स, ए0टी0एम0 कार्ड के अनुरूप)	1-नग		₹500.00	3 माह

नियम व शर्ते:-

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कार्यरत समस्त कार्मिकों के परिचय पत्र बनाये जाने है, दर एक नग हेतु आमंत्रित की जा रही हैं, जिसमें से न्यूनमत, औचित्य पूर्ण दर जॉच/स्वीकृति उपरान्त आदेश चरणों में निर्गत किया जायेगा।
2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त कोटेशन बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।
3. कोटेशन में दी गई दरे न्यूनतम दो वर्ष के लिए मान्य होंगी।
4. विभाग द्वारा कार्मिकों के आवेदन पत्र परिचय पत्र बनाने हेतु चरणबद्ध तरीके से फर्म को उपलब्ध कराये जायेंगे एवं विभाग द्वारा फर्म को कोई मैटीरियल नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्मिकों के डाटा बेस की सॉफ्ट कॉपी विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
5. विभाग के साथ नियामानुसार अनुबन्ध करना होगा।
6. जिस फर्म की दर स्वीकृत की जायेगी, उसे धरोहर राशि ₹500.00 (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0) अधिशासी अभियन्ता (मु0), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून के नाम छः माह के लिये बन्धक रखनी होगी, जो कि कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। दर स्वीकृति के उपरान्त कार्य न करने पर उक्त धरोहर राशि जब्द कर ली जायेगी।
7. परिचय पत्र के प्रारूप में छपाई हेतु आदेश निर्गत करने से पूर्व आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
8. परिचय पत्र की छपाई आवेदन पत्र के अनुसार न होने पर, पुनः सही रूप से छपाई करनी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।
9. भुगतान चरण बद्ध ओदशों के अनुसार अथवा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
10. करों की कटौती/भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

संलग्नक-परिचय पत्र का प्रारूप।

(सुभाष चन्द)
अधिशासी अभियन्ता (मु0)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. व्यैक्तिक अधिकारी मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को मुख्य अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0)/अपर सहायक अभियन्ता (मु0) प्रधान कार्यालय, देहरादून।
4. मण्डलीय लेखाकार, प्रधान कार्यालय, देहरादून।
5. नोटिस बोर्ड।

संलग्नक-परिचय पत्र का प्रारूप।

अधिशासी अभियन्ता (मु0)

उत्तराखण्ड पेयजल निगम

(उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम)
11, मोहिनी रोड, देहरादून।
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
फोन नं0 : 0135–2678078, फैक्स नं0 : 0135.2672337 ई–मेल–upsvnn@gmail.com

पहचान-पत्र

निर्गत तिथि :
वैद्यता : तक

फोटो

हस्ताक्षर

परिचय पत्र संख्या :
कर्मचारी कोड :
नाम :
पद :
कार्यालय पता :
पिता का नाम :
जन्म तिथि :
रक्त समूह :
स्थानीय पता :
मोबाईल नं0 :

जारीकर्ता प्राधिकारी
मुख्य अभियन्ता (मु0)

UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM

(UTTARAKHAND PEYJAL SANSADHAN VIKAS EVAM NIRMAN NIGAM)
11, Mohini Road, Dehradun.
(AN UTTARAKHAND GOVERNMENT UNDERTAKING)
Ph. No. : 0135-2678078, FAX. No. : 0135-2672337 E-mail:upsvnn@gmail.com

IDENTITY - CARD

Issued on :
Valid upto :

Photo

Signature

Identity Card No. :
Employee Code :
Name :
Designation :
Office Address :
Father's Name :
Date of Birth :
Blood Group :
Local Address :
Mobile No. :

Issuing Authority
Chief Engineer (HQ)